

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125| No. 125| नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2014/फाल्गुन 20, 1935

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20, 1935

उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

सा.का. नि. 177(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग में रजिस्ट्रार के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (रिजिस्ट्रार), भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, और अन्य अईताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अईताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 5. प्रारंभिक गठन.—(1) इन नियमों के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नियमित आधार पर पदधारी अधिकारियों को ग्रेड में नियमित के लिए विचार किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों द्वारा इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को संबंधित तद्नुरूपी ग्रेड में नियमित अनवरत सेवा को वरीयता, पुष्टिकरण, प्रोन्निति और पेंशन के प्रयोजनार्थ अहंकारी सेवा के रूप में गिना जाएगा।
- (2) उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की ज्येष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख के सदर्भ में अवधारित की जाएगी।

परन्तु उसी स्रोत से भर्ती किए गए अधिकारियों और उनके द्वारा मूल विभाग में धारित पदों में उनकी ज्येष्ठता बाधित नहीं होगी।

6. निरहंता.—वह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 7. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 8. व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	' पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. रजिस्ट्रार	1*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'
	(2014)	(राजपत्रित), अवनुसचिवीय
	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	,

वेसन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वासे व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेसन बैंड-4 - 37400-67,000 रु. +	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ग्रेड वेतन 10,000 रु.		

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	हो
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	
(7)	(8)	(9)
लाग् नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	
प्रोन्नति द्वारा या		
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा		
विभिन्न पद्धतियां द्वारा भरी जाने	·	
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
(10)	(11)	
मिश्रित पद्धति [प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा)	
(अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च	
द्वारा)	न्यायालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अधिकरण अथवा अर्द्ध-	
	न्यायिक प्राधिकरण के अधीन ऐसे अधिकारी:	
•	(क)(1) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद	
	धारण किए हों; या	
	(2) जो वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. + ग्रेड वेतन 89,00 रु. में मूल	
	संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के	
	बाद श्रेणी में दो वर्ष की सेवा कर चुके हों अथवा	
	(3) जो वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. + ग्रेड वेतन 87,00 रु. में मूल	
	संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के	
	बाद श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों और	
	(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:	
	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री, और	
	(2) समूह 'क' पद पर पंद्रह वर्षों का कार्य का अनुभव-	
	(क) किसी न्यायालय या अधिकरण अथवा अद्ध-न्यायिक प्राधिकरण में; या	
	(ख) कार्मिक और प्रशासनिक मामलों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी	
	किए गए नियमों, विनियमों, अनुदेशों के निर्वचन का अनुभव।	
	टिप्पण 1: 37,400-67,000 रु. के वेतन बैंड और 8700 रु. के ग्रेड वेतन के	
	ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा वाले विभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार पर भी	
	बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो	
	जाता है, तो पद को प्रोन्निति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।	
	टिप्पण 2: इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा	
	केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य सवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की	
	अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं	

होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू होने की तारीख से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को तद्नुरूपी ग्रेड वेतन या उस आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय जहां एक से अधिक पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों का विलय किया गया हो और जहां यह फायदा केवल उस पद या पदों के लिए लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
उसकी संरचना	किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्निति के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक
	है।

[फा. सं. ए-12011/3/2007-स्थापना] मनोज परिडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2014

- G.S.R. 177 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Registrar in the National Consumer Disputes Redressal Commission, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Consumer Disputes Redressal Commission (Registrar) Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or scale of pay. The number of the said posts, their classification and Pay Band and Grade Pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule aforesaid.
- 4. Methods of recruitment, age limit, and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
- 5. Initial Constitution.—(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, officers holding posts in the National Consumer Disputes Redressal Commission on regular basis, on the date of commencement of these rules shall be considered deemed to be appointed in the Grade and the regular continuance service rendered by such officers in the respective corresponding grade on the date of notification of these rules shall count as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion and pension.

(2) The seniority of officers mentioned in sub-rule (1) shall be determined with reference to the date of their regular appointment to the posts concerned:

Provided that the seniority of officers recruited from the same source and in the posts held by them in the parent Department shall not be disturbed.

6. Disqualification.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post (1) 1. Registrar	Number of post (2) 01* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	Classification (3) General Central Services, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial

Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection-post	Age limit for direct recruits
(4)	(5)	(6) Not applicable
PB-4 - ₹37400-67000 (Grade Pay ₹10,000)	Not applicable	Two applicable

Educational and other qualifications required for direct	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of Probation, if any
recruits	promotees	(9)
(7)	(8)	
Not Applicable	Not applicable /	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
	(11)
(10)	Deputation (including Short-term Contract)
By Composite Method [Deputation (Including Short Term Contract)/Promotion]	Officers under the Central Government or State Government or Supreme Court or any High Court or PSUs or Tribunal or Quasi Judicial Authority: (A)(1) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-4, ₹37,400-67,000 plus grade pay of ₹8,900 or equivalent in the parent cadre or department; or (III) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-4, ₹37,400-67,000 plus grade pay of ₹8,700 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following Educational Qualification and Experience:

- (I) A Degree in Law from a recognised University, and
- (II) Fifteen years' work experience in a Group 'A' post -
 - (a) in a Court or Tribunal or Quasi Judicial Authority; or
 - experience in Personnel and Administrative matters and interpretation of rules, regulations, instructions issued by the Government from time to time.

Note 1: The departmental Joint Registrar in Pay Band of ₹37,400-67,000 plus Grade Pay of ₹8,700 with three years of regular service in the grade would also be considered along with outsiders and in case, he is selected, the post will be deemed to have been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note 3: For the purposes of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is	Circumstances in which Union Pubic Service Commission
its composition.	to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission
	necessary for Deputation/Promotion.

[F. No. A-12011/3/2007-Estt.]

MANOJ PARIDA, Jt. Secy.